

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936

No. 94]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/MAGHA 27, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 98(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 352(ख) के साथ पठित धारा 352(चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा) नियम, 2015 है।  
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क. "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 अभिप्रेत है;

ख. दायित्व की परिसीमा के संबंध में "सामुद्रिक दावा" से अधिनियम की धारा 352क में यथाविनिर्दिष्ट दावा अभिप्रेत है।

ग. उन शब्दों और पदों, के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अर्थ अधिनियम में हैं।

3. सामुद्रिक दावों के दायित्व की परिसीमा (1) धारा 352ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 352क की उप-धारा (1) के अधीन दावों के दायित्व की परिसीमा निम्नानुसार होगी :—  
(क) जीवन की हानि या शारीरिक क्षति के दावों के संबंध में,—

(i) दो हजार टन से अनधिक टन भार वाले पोत के लिए बीस लाख लेखा यूनिट

(ii) दो हजार टन से अधिक टन भार वाले पोत के लिए, उप-खंड (i) में वर्णित मात्रा के अतिरिक्त निम्नलिखित मात्रा :—

- (अ) दो हजार एक टन से तीस हजार टन तक प्रत्येक टन के लिए, आठ सौ लेखा यूनिटें;  
 (आ) तीस हजार एक टन से सत्तर हजार टन तक, प्रत्येक टन के लिए, छः सौ लेखा यूनिट;  
 (इ) सत्तर हजार टन से अधिक प्रत्येक टन के लिए, चार सौ लेखा यूनिट;

(ख) किसी अन्य दावों के संबंध में,—

- (i) दो हजार से अनधिक टनभार वाले पोत के लिए दस लाख लेखा यूनिट  
 (ii) दो हजार टन से अधिक टन भार वाले पोत के लिए, उपखंड (ख)(i) में वर्णित मात्रा के अतिरिक्त निम्नलिखित मात्रा :—

- (अ) दो हजार एक टन से तीस हजार टन तक प्रत्येक टन के लिए, चार सौ लेखा यूनिट;  
 (आ) तीस हजार एक टन से सत्तर हजार टन तक, प्रत्येक टन के लिए, तीन सौ लेखा यूनिट;  
 (इ) सत्तर हजार टन से अधिक प्रत्येक टन के लिए, दो सौ लेखा यूनिट;

2. जहां यह उपनियम (1) के खंड (क) के अनुसार संगणित मात्रा उसमें वर्णित दावों के पूर्ण संदाय के लिए अपर्याप्त है, वहां उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार संगणित मात्रा उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन दावों के संदाय के लिए उपलब्ध होगी तथा ऐसा असंदर्भ अतिशेष उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अन्य दावे के अनुपात में होगा।

3. किसी ऐसे उद्धारक के दायित्व की सीमा संगणना, जो किसी पोत से प्रचालन नहीं कर रहा है या किसी उद्धारक के लिए जो पूर्णतया किसी पोत पर प्रचालन कर रहा है या जिसके संबंध में वह उद्धारण सेवाएं प्रदान का रहा है, एक हजार पांच सौ टन के टनभार के अनुसार की जाएगी।

4. उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, किसी पोत का टनभार अंतरराष्ट्रीय पोत टनभार मापमान 1969 के उपाबंध (1) में अंतर्विष्ट टनभार मापमान नियम, के अनुसार संगणित कुल टन भार होगा।

5. किसी पोत के यात्रियों के जीवन की हानि या शारीरिक क्षति किसी सुभिन्न अवसर पर उद्भूत दावों के संबंध में, पोत के स्वामी के दायित्व की परिसीमा, पोत के प्रमाणपत्र के अनुसार पोत द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए प्राधिकृत संख्या से गुणा करने एक लाख पचहत्तर हजार लेखा यूनिट होगी।

4. भारत की तटीय सीमा में या उसके चारों ओर नौचालन के लिए आशयित भारतीय पोतों के दायित्व की परिसीमा,—

(1) इन नियमों के अधीन किसी सुभिन्न अवसर पर उद्भूत दावों के दायित्व की परिसीमा नियमानुसार रूप संगणित की जाएगी :—

(क) व्यक्तिगत दावों या संपत्ति संबंधी के दावों के संबंध में—

(i) पांच सौ टन से अनधिक टन भार वाले पोत के लिए तीन लाख तैंतीस हजार लेखा यूनिट

(ii) पांच सौ टन से अधिक टन भार वाले पोत के लिए, उप-खंड (i) में वर्णित मात्रा के अतिरिक्त निम्नलिखित मात्रा :—

(अ) पांच सौ एक टन से तीन हजार टन तक प्रत्येक टन के लिए, पांच सौ

लेखा यूनिट

(आ) तीन हजार एक हजार एक टन से तीस हजार टन तक, प्रत्येक टन के लिए, तीन सौ तैंतीस लेखा यूनिट

(इ) तीस हजार टन से सत्तर हजार टन तक प्रत्येक टन के लिए, दो सौ पचास लेखा यूनिट

(ई) सत्तर हजार टन से अधिक प्रत्येक टन के लिए, एक सौ सड़सठ लेखा यूनिट

(ख) किसी अन्य दावे के संबंध में,—

(i) पांच सौ टन से अनधिक टनभार वाले पोत के लिए एक लाख सड़सठ हजार लेखा यूनिट

(ii) पांच सौ टन से अधिक टन भार वाले पोत के लिए, उपखंड (i) में वर्णित मात्रा के अतिरिक्त निम्नलिखित मात्रा :—

(अ) पांच सौ एक टन से तीस हजार टन तक प्रत्येक टन के लिए, एक सौ सड़सठ लेखा यूनिट;

(आ) तीस हजार एक टन से सत्तर हजार टन तक, प्रत्येक टन के लिए, एक सौ पच्चीस लेखा यूनिट;

(इ) सत्तर हजार टन से अधिक प्रत्येक टन के लिए, तैरासी लेखा यूनिट।

2. जहाँ उपनियम (1) के खंड (क) के अनुसार संगणित मात्रा उसमें वर्णित दावों के पूर्ण संदाय के लिए अपर्याप्त है, वहाँ उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार में संगणित मात्रा उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन दावों के संदाय के लिए उपलब्ध होगी तथा ऐसा असंदत्त अतिशेष उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अन्य दावे के अनुपात में होगा।
3. किसी ऐसे उद्धारक दायित्व की सीमा की संगणना, जो किसी पोत से प्रचालन नहीं कर रहा है या किसी उद्धारक के लिए जो पूर्णतया किसी पोत पर प्रचालन कर रहा है या जिसके संबंध में वह उद्धारण सेवाएं प्रदान कर रहा है, एक हजार पांच सौ टन के टनभार के अनुसार की जाएगी।
4. उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, अंतरराष्ट्रीय पोत टनभार मापमान अभिसमय, 1969 के उपाबंध (1) में अंतर्विष्ट टनभार मापमान, के अनुसार संगणित कुल टन भार होगा।
5. किसी पोत के यात्रियों के जीवन की हानि या शारीरिक क्षति के किसी सुभिन्न अवसर पर उद्भूत दावों के संबंध में, पोत के एक स्वामी के दायित्व की परिसीमा की संख्या, पोत के प्रमाणपत्र के अनुसार पोत द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए प्राधिकृत संख्या गुणा करके छियालिस हजार छःसौ छियासठ लेखा यूनिट होगी किन्तु ढाई करोड़ लेखा यूनिट अनधिक नहीं होगी।

**स्पष्टिकरण 1**—इस नियम के प्रयोजन के लिए, शारीरिक क्षति के लिए दावों से ऐसे दावे अभिप्रेत हैं, जो पोत के स्वामी और समुद्रगमनकर्ता संगमों के बीच किए गए सुसंगत सामुहिक सौदा करार (सीबीए) के उपबंध के अनुसार पोत के नियोजन के अनुक्रम में या उसके दौरान समुद्रगमनकर्ता को आंशिक रूप से अक्षम बनाने वाली गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति के परिणाम स्वरूप दिए गए हैं।

**स्पष्टिकरण 2**—इस नियम के प्रयोजन के लिए किन्हीं अन्य दावों से ऐसे दावे अभिप्रेत हैं जो संपत्ति संबंधी नुकसानी, पारिणामिक हानि, शुद्ध आर्थिक हानि, पर्यावर्णीय नुकसानी तथा विधिक व्ययों, जिसके अंतर्गत शारीरिक क्षति के संबंध में दावों को छोड़कर किसी सामुद्रिक दावे में दावाकर्ताओं द्वारा ली गई तकनीकी सलाह भी है, का परिणाम हैं।

5. लेखा यूनिट : (1) नियम 3 और नियम 4 में निर्दिष्ट लेखा यूनिट अधिनियम की धारा 352 के खंड (अ) में यथापरिभाषित विशेष आहरण अधिकार है।

(2) नियम 3 और नियम 4 के अधीन संगणित रकम को, उस तारीख पर, जिसको निधि का गठन किया जाता है या धारा 352(ग) की उपधारा (2) के अधीन जमा की जाती है या प्रत्याभूति दी जाती है, रुपए का मूल्य है, उसके अनुसार भारतीय रुपए में संपरिवर्तित किया जाएगा।

[फा. सं. एसआर-11011/2/2008-एमजी]

दिव्या प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 2015

**G.S.R. 98(E).**—In exercise of the powers conferred by section 352FA read with section 352B of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In the rules, unless the context otherwise requires,—
  - a. "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958;
  - b. "maritime claim" in respect of limitation of liability means a claim as specified in section 352A of the Act.
  - c. words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Limitation of Liability for maritime claims.**— (1) Subject to the provisions of section 352B, the limit of liability for claims under sub-section (1) of 352A shall be as under, namely:—

- (a) In respect of claims for loss of life or personal injury,—
- (i) two million units of account for a ship with a tonnage not exceeding two thousand tons;
  - (ii) for a ship with a tonnage exceeding two thousand tons, the following amount in addition to that mentioned in sub-clause (i):—
    - (A) for each ton from two thousand and one tons to thirty thousand tons, eight hundred units of account;
    - (B) for each ton from thirty thousand and one tons to seventy thousand tons, six hundred units of account;
    - (C) for each ton in excess of seventy thousand tons, four hundred units of account;
- (b) In respect of any other claim, -
- (i) one million units of account for a ship with a tonnage not exceeding two thousand tons;
  - (ii) for a ship with a tonnage exceeding two thousand tons, the following amount in addition to that mentioned in sub-clause (b)(i) :—
    - (A) for each ton from two thousand and one tons to thirty thousand tons, four hundred units of account;
    - (B) for each ton from thirty thousand and one tons to seventy thousand tons, three hundred units of account; and
    - (C) for each ton in excess of seventy thousand tons, two hundred units of account.
- (2) Where the amount calculated in accordance with clause (a) of sub-rule (1) is insufficient to pay the claims mentioned therein in full, the amount calculated in accordance with clause (b) of sub-rule (1) shall be available for payment of the claims under clause (a) of sub-rule (1) and such unpaid balance shall rank rateably among other claims under clause (b) of sub-rule (1).
- (3) The limit of liability for any salvor not operating from any ship or for any salvor operating solely on the ship to, or in respect of which he is rendering salvage services, shall be calculated according to a tonnage of one thousand five hundred tons.
- (4) For the purpose of sub-rule (1), the tonnage of a ship shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement rules contained in Annex-1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
- (5) In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of a ship, the limit of liability of the ship owner shall be an amount of one lakh seventy five thousand units of account multiplied by the number of passengers which the ship is authorised to carry according to the ship's certificate.
4. Limitation of liability for Indian ships intended for navigation in or around the coast of India,— (1) The limit of liability for claims under this rule arising on any distinct occasion shall be calculated as follows:—
- (a) in respect of personnel claims or property claim,—
- (i) three lakhs thirty three thousand units of account for a ship with a tonnage not exceeding five hundred tons;
  - (ii) for a ship with a tonnage exceeding five hundred tons, the following amount in addition to that mentioned in sub-clause (i),—
    - (A) for each ton from five hundred one tons to three thousand tons, five hundred units of account;
    - (B) for each ton from three thousand and one tons to thirty thousand tons, three hundred and thirty three units of account;
    - (C) for each ton from thirty thousand and one tons to seventy thousand tons, two hundred and fifty units of account;

- (D) for each ton in excess of seventy thousand tons, one hundred and sixty-seven units of account;
- (b) in respect of any other claims,—
- (i) one lakh and sixty-seven thousand units of account for a ship with a tonnage not exceeding five hundred tons;
- (ii) for a ship with a tonnage exceeding five hundred tons, the following amount in addition to that mentioned in sub-clause (i),-
- (A) for each ton from five hundred and one tons to thirty thousand tons, one hundred and sixty-seven units of account;
- (B) for each ton from thirty thousand and one tons to seventy thousand tons, one hundred and twenty five units of account;
- (C) for each ton in excess of seventy thousand tons, eighty three units of account.
- (2) Where the amount calculated in accordance with clause (a) of sub-clause (1) is insufficient to pay the claims mentioned therein in full, the amount calculated in accordance with clause (b) of sub-rule (1) shall be available for payment of the unpaid balance of claims under clause (a) of sub-rule (1) and such unpaid balance shall rank rateably among other claims under clause (b) of sub-rule(1).
- (3) The limit of liability for any salvor not operating from any ship or for any salvor operating solely on the ship to, or in respect of which he is rendering salvage services, shall be calculated according to a tonnage of one thousand and five hundred tons.
- (4) For the purpose of sub-rules, (1) the tonnage of a ship shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement rules contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
- (5) In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passenger of a ship, the limit of liability of one ship owner shall be an amount of forty six thousand, six hundred and sixty six units of account multiplied by the number of passengers which the ship is authorised to carry according to the ship's certificate, but not exceeding twenty five million units of account.

**Explanation – (1)** For the purpose of this rule, claims for personal injury means claims

resulted on account of serious physical or mental injury, partially incapacitated sustained by the seafarer in course of or during employment of the ship as per the provision of relevant Collective Bargaining Agreement [CBA] entered between ship owner and the seafarers associations.

**Explanation – (2)** For the purpose of this rule any other claims means claims resulted on account of property damage, consequential loss, pure economic loss, environmental damage and legal expenses including technical advice sustained by the claimants in any maritime claim except claims in respect of personal injury.

5. Unit of accounts. - (1) The unit of account referred to in rule 3 and rule 4 is the Special Drawing Rights as defined in clause (j) of section 352 of the Act.

(2) The amount calculated under rule 3 and rule 4 shall be converted into Indian rupee according to the value of the rupee at the date the Fund is constituted or deposit is made or guarantee is given under sub-section (2) of section 352C

[F. No. SR-11011/2/2008-MG]

DIVYA PRASAD, Jt. Secy.

809 57/15-2